

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

दिनांक :- 14.6.2022

क -रीडर/ 2022/464

मुकदमा नंबर 296/2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
<ol style="list-style-type: none"> 1. अचलाराम पुत्र दीपाराम 2. भैराराम पुत्र दीपाराम 3. नारायणराम पुत्र दीपाराम 4. नवलाराम पुत्र दीपाराम 5. अमराराम पुत्र दीपाराम, जातियान मेघवाल निवासीयान लाधानियों की ढाणी, बायतु पनजी, तहसील बायतु जिला बाडमेर। 		<ol style="list-style-type: none"> 1. मांगीलाल पुत्र उतमाराम 2. द्वारकाराम पुत्र उतमाराम 3. कैलाश पुत्र आसूलाल 4. नरपत पुत्र आसूलाल नाबालिंग जरिये कुदरती वलिया माता शांतिदेवी बेवा आसूलाल 5. गजेन्द्र पुत्र आसूलाल नाबालिंग जरिये कुदरती वलिया माता शांतिदेवी बेवा आसूलाल 6. शांतिदेवी बेवा आसूलाल 7. भंवराराम पुत्र हरजीराम 8. घेवरचंद पुत्र हरजीराम 9. मोहनलाल पुत्र हरजीराम 10. सामूराम पुत्र हरजीराम 11. केवलराम पुत्र हरजीराम 12. किशानी बेवा हरजीराम 13. गोरखाराम पुत्र चौखाराम 14. वीराराम पुत्र चौखाराम 15. जोगाराम पुत्र चौखाराम 16. सगरती बेवा चौखाराम 17. पता पुत्र ताजा 18. मेरा पुत्र ताजा 19. मंगला पुत्र ताजा, जातियान मेघवाल निवासीयान नया गांव, नगोणी धतरवालो की ढाणी, बायतु भीमजी, तहसील बायतु जिला बाडमेर। 20. गोमाराम पुत्र चतराराम जाति मेघवाल निवासी लाधानियों की ढाणी बायतु पनजी, तहसील बायतु 21. मोहब्बतराम पुत्र गोकलाराम 22. लालाराम पुत्र गोकलाराम 23. अन्तरी बेवा गोकलाराम, जाति मेघवाल निवासी पुराना गांव बायतु पनजी तहसील बायतु 24. कोहला पुत्र खेताराम 25. लुणा पुत्र अखाराम 26. मका पुत्र अखाराम 27. चूना पुत्र अखाराम 28. पीम्पली पुत्री रेवता 29. पालू बेवा अखाराम 30. सजनी पत्नी अजबाराम जातियान मेघवाल निवासीयान सालुजी का तला, बायतु पनजी 31. प्रतापसिंह पुत्र मोडसिंह 32. दीपसिंह पुत्र उमसिंह 33. रामसिंह पुत्र शिवसिंह 34. जोरसिंह पुत्र शिवसिंह 35. चतरसिंह पुत्र शिवसिंह 36. रूपसिंह पुत्र शिवसिंह जातियान राजपूत निवासीयान मेकरना भीमरलाई तहसील पचपदरा जिला बाडमेर 37. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।



उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

आदेश

दिनांक :-31.5.2022


उपर्युक्त,प्रकरण मौजा मेकरना पटवारी क्षेत्र गोल सोढा, मू-निरीक्षक दूधवा तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं0 152/51 रकबा 17-10 बीघा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर)कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमिश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित किया जाता हैं,जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बालोत्तरा

क्रमांक /रीडर/ 2022/465

दिनांक :- 14/6/22

प्रतिलिपि :- तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे,साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवायें।



(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बालोत्तरा